



50

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 24/07/23

विषय— मो. अनवर अंसारी एवं मो. इकबाल अंसारी द्वारा पूर्णियाँ जिलान्तर्गत भेभड़ा मौजा के खाता संख्या-142, खेसरा संख्या-208, थाना-रौटा में SH-99 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01995 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 432, दिनांक 16.06.2023,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/56158/2020/1145, दिनांक 30.05.2023 द्वारा दो भागों में (A में 1-6 शर्त एवं B में 1-9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग-A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,65,161.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219956158106, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.06.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CBINR52023062110006485 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.01995 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 19,108/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219956158106, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 21.06.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CBINR52023062110006485 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 21.06.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

49

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन

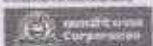
मो. अनवर अंसारी

(अनवर अंसारी)

पिता-मो. मनमोहन अंसारी,
वार्ड संख्या-11, रौता हाट रौता,
बाईसी, जिला-पूर्णियाँ,
पिन-854315

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-06-2023

Agency Name.	MD ANWAR ANSARI
Application No.	19956158106
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/56158/2020
Location.	BIHAR
Address.	Ward No.-11, Rauta haat, Rauta, BaisiPurnia
Amount(in Rs)	884269/-

Amount in Words : Eight Lakh Eighty-Four Thousand Two
Hundred and Sixty-Nine Rupees Only

CBINR52023 062110006485

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506219956158106 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan,
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@
ubin0996335@unionbankofindia.bank



21/06/2023

मो 77398931

(47)

Form-I
(For Linear Projects)
Government Of Bihar
Office of the District Collector, Purnea

No.-2454

Dated :- 06.12.2022

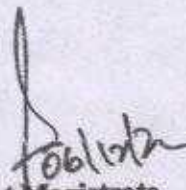
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No.-11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 ('FRA', for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.015 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited (name of user agency) for Retail Outlet Installing in Mauza-Bhebhara, Khata No-142, Plot No.-208, Thana-Rauta on the S.H-99 (purpose for diversion of forest land) in Purnea District falls within jurisdiction of Rauta Gram Panchayat(s) in Baisa tehsils/Anchal.

It is Further certified that-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.01995 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure...01.....to ...19.....annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have give their cosent to it ;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural Communities.

Encl: As Above.


District Magistrate,
Purnea

46

श्री सुहर्ष भगत, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2022 को 11:30 बजे पूर्वाह्न समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जिला वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी में ।

1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया - सदस्य
2. अपर समाहर्ता, पूर्णिया - सदस्य
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी - सदस्य
4. जिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया - सदस्य
5. श्री अशोक कुमार होंसदा, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-08, (प्रखण्ड-धमदाहा) - सदस्य
6. श्री संजीव कुमार, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-24, (प्रखण्ड-पूर्णिया पूर्व) - सदस्य
7. श्रीमती सुलेखा देवी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-20, (प्रखण्ड-जलालगढ़) - सदस्य

बैठक में उपरोक्त सभी सदस्य उपस्थित हुए ।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया । तदुपरान्त जिला वनाधिकार समिति के दायित्वों एवं कर्तव्यों के संबंध में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया ।

बैठक में पूर्णिया जिलान्तर्गत भेमड़ा ग्राम के खाता संख्या-142, प्लॉट संख्या-208, थाना-रौटा में एस0एच0-99 के पथ के किनारे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 अन्तर्गत 0.01995 हे0 वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने के निमित्त पंचायत, प्रखण्ड एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी द्वारा प्राप्त पारित प्रस्ताव/अनापत्ति पर उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया गया ।

प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत रौटा के प्रस्ताव को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी को उपलब्ध कराया गया । ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव/अनापत्ति को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति के अध्यक्ष, अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी द्वारा प्रस्ताव हस्तगत कराया गया ।

बैठक में उपस्थित किसी भी सदस्य द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी से प्राप्त ग्राम पंचायत स्तरीय प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की गयी तथा प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित करने एवं उक्त परियोजना के निमित्त FRA-2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सहमति दी गयी ।

बैठक में उपस्थित अपर समाहर्ता, पूर्णिया को उक्त परियोजना के निमित्त FRA-2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अविलम्ब संचिका उपस्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

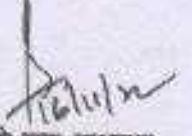
अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

२०/-

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला वनाधिकार समिति, पूर्णिया

ज्ञापांक - 2263 / सा०, पूर्णिया दिनांक - 14-11-2022-

- प्रतिलिपि :- श्रीमती सुलेखा देवी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं०-20, (प्रखण्ड-जलालगढ़) को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- श्री संजीव कुमार, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं०-24, (प्रखण्ड-पूर्णिया पूर्व) को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- श्री अशोक कुमार होंसदा, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं०-08, (प्रखण्ड-धमदाहा) को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- जिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना को उनके ज्ञापांक-505, दिनांक-18.06.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।


जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला जनाधिकार समिति, पूर्णिया

44

पत्रांक :- 4135

3788
7/10/22

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य शाखा,
पूर्णिमा।

बायसी, दिनांक:- 13/09/22

विषय :-

पूर्णिमा जिलान्तर्गत मेमड़ा मौजा के खाता सं०-142, प्लॉट सं०-208, थाना-रौटा में SH-99 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ हेतु वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत समिति का गठन के संबंध में।

प्रसंग :-

जिला पदाधिकारी महोदय, पूर्णिमा के पत्रांक-1737/सा०, दिनांक-17.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि पूर्णिमा जिलान्तर्गत मेमड़ा मौजा के खाता सं०-142, प्लॉट सं०-208, थाना-रौटा में SH-99 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ हेतु वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैसा के पत्रांक-1206, दिनांक-23.08.2022 द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत(रौटा) में वन अधिकार समिति की गठन से संबंधित बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराई गई है एवं अनुमंडल स्तरीय उप खंड स्तर की वन अधिकारी समिति से संबंधित बैठक की कार्यवाही की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:- स्थोत्र ।

विश्वासभाजन

13.09.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
बायसी।

आज दिनांक - 27/08/22 को
अनुमंडल पदाधिकारी बाबरी की अध्यक्षता
में प्रैक्टा गौजा के खाना सं-142, फ्लैट नं-
208, धारा-शौला में डम-99 पथ के डिआर
हि-पुस्तान वेदोनिचम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का
रिटर्न आउटलेट स्थापित करने पहुँच पथ हेतु
परिधान के निमित्त वन भूमि उपखंड हेतु
FRA 2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के
लिए अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी
वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम
2008 के तहत अनुमंडल स्तर पर उप खण्ड एतद
की वन अधिकार समिति के गठन एवं आपत्ति
के खंड में बैठ आह्वान की गई, जिसमें जिला
पंचायत वन पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा बैठा प्रखंड
के अंतर्गत नामित व्यक्ति एवं प्रखंड विकास
पदाधिकारी उपस्थित हुए -

अनुमंडल पदाधिकारी
बाबरी

प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैठा - श्री प्रमोद

सदस्य - श्री विक्रम आराम (मुविडा) शा. 1
पं. धुसम, Mob No - 9771529893

सदस्य - श्री देव नारायण (पं. लामेने सदस्य)
ग्राम पंचायत बसुआ गौलरा
Mob - 8252935825

सदस्य - श्री राजीव कुमार काप
(शा. पं. पुंगरा विजय)
Mob No - 8294672254

प्रस्ताव-1) अनुमंडल पदाधिकारी, कायसी द्वारा उपरिक्त प्रस्ताव विकास पदाधिकारी, बैसा एवं उपरिक्त सदस्यों का स्वागत किया गया एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट स्थापित करने परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वन भूमि अधिग्रहण हेतु FRA-2006 के तहत सर्व सम्पत्ति से अनुमंडल स्तरीय उप खण्ड स्तर की वन अधिकार समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित हैं:-

- 1) अध्यक्ष - अनुमंडल पदाधिकारी, कायसी
- 2) सदस्य:- श्री विक्रम आलम (मुनिगा)
- 3) सदस्य:- श्री देवनाशय्य (पंचायत समिति सदस्य)
- 4) सदस्य:- श्री राजीव कुमार दास (पंचायत समिति सदस्य)

प्रस्ताव:-2) प्रस्ताव विकास पदाधिकारी, बैसा के पत्रांक-1206, दिनांक-23-08-2022 द्वारा संबंधित ग्राम-रायवेर, दि०-20/08/22 द्वारा सम्पत्ति SH-99 के तिनारे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित अनापत्ति के साथ ग्राम-रायसी की प्रति बैठा में प्रस्तुत किया गया, जिसे अनुमंडल स्तर पर उप खण्ड समिति के समक्ष आपत्ति/अनापत्ति के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। जिन्हीं सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत भूमि के अधिग्रहण हेतु FRA-2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्माण करने के लिए अधिनियम, 2006 तथा नियम 2008 के तहत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्रियान्वयन हेतु अनापत्ति के साथ प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव-3) वन अधिकार समिति द्वारा बैसा में के पत्रांक-142, प्लॉट नं० 208, धारा-रैला में SH-99 पथ के तिनारे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड निर्माण के लिए सदस्य की उक्ति, तथा जिन्हीं सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

सुधा-चमक के साथ आज की वंदना
की शक्तिवादी समाप्त की जाती है।

22.08.24

अनुमोल पहाड़िया
जायसी

कार्यालय पर्यावरण विकास अधिकारी, बैसा (पुर्णिया)

पुर्णिया
22/02/2022

प्रेरक

पर्यावरण विकास अधिकारी,
बैसा (पुर्णिया)

संबंध में

पर्यावरण विकास अधिकारी,
बैसा (पुर्णिया)

दिनांक 22/02/2022

विषय :- पुर्णिया जिल्लात्मक भूसांख्यिकी के खता सं०-142, प्लॉट सं०-208
थाना-सैला में SH-99 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित
करने के काम में सहित पथ हटाने वन भूमि अप्रयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006
के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 तथा
नियम 2008 के तहत आगल के तहत के राख में।

प्रमाण :- जिला पर्यावरण विकास अधिकारी, पुर्णिया के संकाय-173/सं० पुर्णिया, दिनांक-17/02/2022

महोदय

उपरोक्त विषयसंबंधित कहना है कि पुर्णिया जिल्लात्मक भूसांख्यिकी के
खता सं०-142, प्लॉट सं०-208, थाना-सैला में SH-99 पथ के किनारे HPCL का रिटेल
आउटलेट स्थापित करने के काम में सहित पथ हटाने वन भूमि अप्रयोजन प्रस्ताव पर FRA-
2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 के अंतर्गत
में सम्बन्धित ग्राम पंचायत में वन अधिकार समिति का गठन कर सेवा आरम्भ हो।

कृपया प्रमाण स्वीकार कि जाय।

अनुसूचक :- यशोधर

विश्वनाथनाथ



पर्यावरण विकास अधिकारी,
बैसा (पुर्णिया)

39

[illegible]

अथल - बेसा जिला - पणिया

संज्ञासहितं प्रमाणं यत्

विषय से जिला-पुर्णिया, प्रखंड-बैसा परिसर में बीटा में HPTI का स्तिन अग्रिम-
स्थापित करने के काम में प्रवृत्त बन गे। (अ. 10 डिग्री) उपरिष्ठित वन भूमि 0 (शून्य)
है। सिमेंट का सामान भूमि 37.47 कि. 2.5 कमी. लंबा इलाका परिसर भूमि 0 (शून्य) 20 अर्थात् 0
भूमि 0 (शून्य) है। वन भूमि का एक निर्माण के लिए में प्रत्येक 333333 वर्ग मीटर
परिसर द्वारा प्रस्थापित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरिष्ठित प्रकरण के विषय में
ग्राम प्रधाना सभा द्वारा दिनांक 20.08.2022 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम प्रधान की
अनुमति में प्रयागवा एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनुमति प्रमाण पत्र निर्गत
कराया हेतु विस्तृत की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत
वन भूमि में आवेदित अथवा वन आवेदित का कच्चा / कृषि कार्य नहीं है। उपरिष्ठित सभी
ग्राम प्रधानों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि किसी भी आवेदित अथवा वन
आवेदित का कच्चा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इस के अतिरिक्त प्रकरणों के
निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर आवेदितों के परस्परगत अधिकार का हलन नहीं है।
इस हेतु ग्राम के उपरिष्ठित ग्राम सभा द्वारा अनुमति से निर्मित किया गया / प्रस्ताव पत्रित
किया गया है कि ग्राम सभा (बीटा) के निवासियों को वन भूमि परियोजना के
निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

25/05/71

मुद्रित
मुद्रित
मुद्रित

1950

38

जिला न्यायाधीश के द्वारा अनुसूचित जाति और
 परम्परागत जनजातों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए
 1986 तथा 1988 के प्रादेशिक मंत्रालय विभाग 19/01/88
 की आज्ञा के अन्तर्गत केन्द्र की मदद है।
 केन्द्र में निम्नलिखित योजना का गठन
 किया गया है। नीचे निम्न है-

01. पंचायत राज आयोग की योजना का गठन किया गया है।
 जिसमें आज्ञा के अन्तर्गत के निम्न निम्न
 व्यक्ति शामिल हैं।

- | | |
|--------------------|---------|
| (1) जिला न्यायाधीश | उपस्थित |
| (2) जिला न्यायाधीश | उपस्थित |
| (3) जिला न्यायाधीश | उपस्थित |
| (4) जिला न्यायाधीश | उपस्थित |
| (5) जिला न्यायाधीश | उपस्थित |
| (6) जिला न्यायाधीश | उपस्थित |
| (7) जिला न्यायाधीश | उपस्थित |
| (8) जिला न्यायाधीश | उपस्थित |
| (9) जिला न्यायाधीश | उपस्थित |

1884-1885

02. यम आधिकार संपत्ति प्रत्यक्ष की काला हार।
यम संपत्ति की मितवैयता मुद्रा की
सर्व संपत्ति के मुद्रा यमा।

उत्तर. ग्राम सभा की बैठक में प्रमाणित होकर ही इस
आवेदन वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण
पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई।
यह वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के
अंतर्गत आवेदन वन भूमि में आदिवासी अथवा
किसी गैर आदिवासी का करना/कुछ कार्य नहीं है।

उपस्थित १९
गोपाल का हस्त

1814-1815

(5) $\Delta L = 24 \text{ cm}$

(2) 410 only

5

(5)

16

⑤

36

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार

[Redacted]

25 19 12

33

14

Scanned with CamScanner

documented with CamScanner

(210)

महाराष्ट्र सरकार

(211)

महाराष्ट्र सरकार

(212)

महाराष्ट्र सरकार

(213)

महाराष्ट्र सरकार

(214)

महाराष्ट्र सरकार

(215)

महाराष्ट्र सरकार - महाराष्ट्र सरकार - महाराष्ट्र सरकार

(216)

महाराष्ट्र सरकार

(217)

महाराष्ट्र सरकार

(218)

महाराष्ट्र सरकार

(219)

महाराष्ट्र सरकार

(220)

महाराष्ट्र सरकार

(221)

महाराष्ट्र सरकार

(222)

महाराष्ट्र सरकार

(223)

महाराष्ट्र सरकार

(224)

महाराष्ट्र सरकार

(225)

महाराष्ट्र सरकार

28
18
19

832

833

834

835

836

837

गौरी मुकुटा टीर

श्रीमती चमारी

दुर्गा प्रसाद

विशाल कुमर

प्रमुख विकास परियोजना/ योजना का प्रेजेंट करने वाली का
प्रदान किया।

5.- वन अधिकार समिति द्वारा रौंदा बाजार के
खारा सं. 1 पर मौला प्रमोड प्लॉट सं. 208
थाना- रौंदा, प्रमुख क्षेत्र में 34.99 वर्ग के किनारे
मोर्टल रिटल आउटलेट निर्माण के लिए सहमती
करी गई तथा कोई भी आपत्ति नहीं की गई।
यह सम्मोच के साथ प्लॉट नं. 208
की कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है।

प्रमुख विकास परियोजना/ योजना का प्रेजेंट करने वाली का
प्रदान किया।

मुखिया
श्रीमती चमारी राय रौंदा
प्रमुख विकास परियोजना/ योजना का प्रेजेंट करने वाली का
प्रदान किया।

मुख्य विकास परियोजना/ योजना का प्रेजेंट करने वाली का
प्रदान किया।